<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2020-हिं.अ. दिनांक: 16.06.2021

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 15.12.2020 को हुई जुलाई-सितम्बर, 2020 एवं <u>अक्तूबर-दिसम्बर, 2020 अवधियों की संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनगर्ठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 15.12.2020 को सायं 03.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में आयोजित हुई जुलाई-सितम्बर, 2020 एवं अक्तूबर-दिसम्बर, 2020 अवधियों की संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

प्रेम सिंह 16.6.21

(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

<u>वितरण:</u>

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण।
2. सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

<u>प्रतिलिपि:</u>

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक(प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66.
- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

प्राप्त किया/RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा/Computer Facility
16 JUN 2021
समय/Time 11:45 AM
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली/A.I.I.M.S., New Delhi-29

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 15.12.2020 को जुलाई-सितम्बर, 2020 एवं अक्टूबर-दिसम्बर, 2020 अवधियों की आयोजित हुई संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 15.12.2020 को सायं 03.00 बजे संस्थान की पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जुलाई-सितम्बर, 2020 एवं अक्टूबर-दिसम्बर, 2020 अवधियों की संयुक्त बैठक प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कोविड-19 संक्रमण के कारण शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के उद्देश्य से सीमित संख्या में ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यगण तथा विशेष आमंत्रित अधिकारीगण को इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली-29	अध्यक्ष
2.	डॉ. के.के. दीपक, आचार्य एवं संकायाध्यक्ष (परीक्षा) अ.भा.आ.सं.	सदस्य
3.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी	सदस्य
4.	डॉ. आर. गोपीनाथ उप-सचिव, अ.भा.आ.सं.	सदस्य
5.	डॉ. संजीव लालवानी, कुल-सचिव अ.भा.आ.सं.	सदस्य
6.	श्री देव नाथ साह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता, अ.भा.आ.सं. के प्रतिनिधि : श्री विनोद कुमार शर्मा, कार्यकारी अभियंता	सदस्य
8.	श्री परमानंद आर्य, निदेशक (राजभाषा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
9.	श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-। (दिल्ली), राजभाषा विभाग	सदस्य

10.	श्री विपिन कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग	विशेष आमंत्रित
11.	श्री कुशाल कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षिक अनुभाग	विशेष आमंत्रित
12.	श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग	विशेष आमंत्रित
13.	वरिष्ठ भण्डार अधिकारी, (नि.का.) के प्रतिनिधि: श्री आर.पी.सिंह, सहायक भण्डार अधिकारी	विशेष आमंत्रित
14.	उप-निदेशक, कंप्यूटर सुविधा के प्रतिनिधि: श्री पवन कुमार शर्मा, श्री श्यामल बरूआ, वरिष्ठ प्रोग्रामरगण	विशेष आमंत्रित
15.	श्री निखिल भटनागर, प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
16.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	सदस्य-सचिव

अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 <u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 <u>हिंदी अनुभाग के लिए स्थान की उचित व्यवस्था करने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव द्वारा समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी अनुभाग के स्टाफ-सदस्यों के बैठने हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करने हेतु इंजीनियरी सेवा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए लेकिन इस विषय में अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पायी है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इंजीनियरी सेवा विभाग द्वारा हिंदी अनुभाग हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्रवाई अतिशीघ्र सुनिश्चित की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- अधीक्षण अभियंता

मद सं. 3 संस्थान में हिंदी पदों के सृजन संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा संस्थान के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान संस्थान के बड़े आकार को देखते हुए हिंदी के वर्तमान पदों के अलावा भी हिंदी के और अपेक्षित पदों के सृजन पर विचार करने का अनुरोध किया गया था ताकि संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्थान में हिंदी के वर्तमान पदों के अलावा और अपेक्षित पदों के सृजन हेतु एक समेकित प्रस्ताव तैयार करके सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। निदेशक महोदय ने समिति के उक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- वरिष्ठ हिंदी अधिकारी

मद सं. 4 हिंदी अनुभाग में कनिष्ठ/वरिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि हिंदी अनुभाग में वर्तमान में तीन डाटा एंट्री ऑपरेटर (01 नियमित एवं 02 आउटसोर्स ही कार्यरत है और टाइपिंग संबंधी कार्य की अधिकता होने के कारण प्रकाशन सहायक (हिंदी) के रिक्त 01 पद तथा वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक के रिक्त 01 पद पर नियमित नियुक्ति होने तक नियमित/आउटसोर्स आधार पर 02 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तत्काल तैनाती की जानी अपेक्षित है ताकि संस्थान तथा इसके सभी केंद्रों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर सहायक प्रशासन अधिकारी (भर्ती) महोदय द्वारा सूचित किया गया कि भर्ती अनुभाग द्वारा हिंदी अनुभाग में प्रकाशन सहायक (हिंदी) तथा वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक के रिक्त 02 पदों पर आउटसोर्स आधार पर 02 कनिष्ठ/वरिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग के लिए दो डाटा एंट्री ऑपरेटरों की शीघ्र नियुक्ति की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के उक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 5 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अनुसार हिंदी पत्राचार लगभग 60 प्रतिशत ही है।

समिति द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि तिमाही रिपोर्ट समीक्षाधीन सभी 08 अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए हिंदी में पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - स्थापना अनुभाग (नि.का.)/शैक्षिक अनुभाग/परीक्षा अनुभाग/भंडार अनुभाग (नि.का.)/कंप्यूटर सुविधा/जनसंपर्क प्रभाग/विधि प्रकोष्ठ/समन्वय प्रकोष्ठ

मद सं. 6 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के कारण राजभाषा विभाग द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन न करके ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसमें संस्थान के कर्मचारीगण को भी नामित किया जा रहा है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि फरवरी 2021 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण के ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के कर्मचारीगण का नामांकन करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई निष्पादित की जा रही है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण की ऑनलाइन कक्षाओं में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 7 संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्ड में रोगी विवरण द्विभाषी होने संबंधी।

इस विषय में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी विवरण पहले केवल अंग्रेजी में था जिसको द्विभाषी करने के दौरान अंग्रेजी ऊपर तथा हिंदी नीचे कर दी गई थी। अब ओ.पी.डी. कार्डों में हिंदी ऊपर तथा अंग्रेजी नीचे कर दी गई है लेकिन ये कार्ड द्विभाषी रूप में संस्थान तथा इसके विभिन्न केन्द्रों की ओ.पी.डी. में जारी भी किए जा रहे हैं या नहीं, इसकी कोई सही और प्रामाणिक सूचना अभी तक कंप्यूटर सुविधा से प्राप्त नहीं हुई है।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कंप्यूटर सुविधा द्वारा इस कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाए और ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी संबंधी सूचना अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में छापी जाए और इसकी एक समेकित रिपोर्ट हिंदी अनुभाग को भी दी जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)

मद सं. 8 संस्थान की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखने संबंधी।

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशानुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए जिसके लिए कंप्यूटर सुविधा द्वारा वेबसाइट पर संस्थान के विभिन्न विभागों से संबंधित विषय-वस्तु को अपने स्तर पर वेबसाइट के अनुवाद हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुवाद एंजेसियों के पैनल से उक्त सामग्री का हिंदी रूपांतर करवाकर संस्थान की वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में अपलोड किया जाना अपेक्षित है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि केवल कंप्यूटर सुविधा द्वारा संस्थान की वेबसाइट पर विभिन्न विभागों से संबंधित विषय-वस्तु को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुवाद एंजेसियों के पैनल से हिंदी रूपांतर करवाकर द्विभाषी रूप में अपलोड करते हुए वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)/सभी विभाग/केन्द्र

मद सं. 9 फाइलों में नेमी कार्यालय टिप्पणियां मुद्रित करने संबंधी।

इस विषय पर सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि फाइलों के अंदर पहले से ही ऐसी द्विभाषी कार्यालय टिप्पणियां मुद्रित की हुई हैं लेकिन जो नई फाइलें अब प्रयोग में आ रही हैं, उनमें ये नेमी कार्यालय टिप्पणियां मुद्रित नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर भंडार अनुभाग (नि.का.) के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि फाइलों का जो नया स्टॉक प्रिंट होकर आया है, उनमें द्विभाषी रूप में नेमी कार्यालय टिप्पणियां मुद्रित करवा दी गई हैं।

इस संबंध में समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया और निर्णय लिया गया कि संस्थान तथा इसके सभी केन्द्रों में प्रयोग में लायी जाने वाली सभी फाइलों पर नेमी कार्यालय टिप्पणियां मुद्रित करवाकर प्रयोग में लायी जाएं और इसकी अद्यतन समेकित सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के उक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- वरिष्ठ भण्डार अधिकारी (नि.का.)/सभी केन्द्रों के भण्डार अधिकारीगण

मद सं. 10 <u>कैशियर सैल द्वारा जारी रोकड़ प्राप्ति रसीद द्विभाषी होने संबंधी।</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वरिष्ठ वित्त सलाहकार द्वारा समिति को बताया गया कि रोगियों/स्टाफ द्वारा कैशियर के पास पैसे जमा करने पर जो रसीद जारी की जाती है वो अंग्रेजी में है जिसमें संस्थान के नाम आदि की सूचना द्विभाषी रूप में करके रसीद को द्विभाषी रूप में जारी किया जा सकता है। समिति द्वारा इस विषय पर विचार विमर्श के उपरांत इस रसीद को द्विभाषी रूप में करने का आदेश दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई:- वित्त सलाहकार/वरिष्ठ भण्डार अधिकारी (नि.का.)

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।